

28/9/23

पञ्जाबी और राष्ट्रीय लोक

अन्तर्गत केन्द्र के ADJ (विभागाध्यक्ष)

के वादी वकील के उत्तर पर

पर फेर सुनने के वादी वकील ने

उत्तर पर कहा कि वादी को नये वादी

की अनुमति के साथ विज्ञापन करने

के अन्तर्गत धारा 23 नियम 193

CPL का फेर (विभागाध्यक्ष) वादी के

प्रस्ताव ~~जिस~~ प्रकृत ~~स्वीकार~~ दिना
 साकल वादी का नये वाद
 का प्रेश ~~कै~~ कृष्ण क
 अधिकार के सुरासिर ~~रखने~~
 हुआ / पञ्जाबी के पक्षकार
 के कदम लोक ~~मदालम~~ की कानून
 के राजीनामा हो जाने के
 अपना वाद ~~जटिल~~ विद्वान ~~सकारित~~
 का प्रेश किया / प्रकृत लोक
 मदालम की कानून के वादी
 व परिवारी आपत के राजीनामा
 कर लिया है / पञ्जाबी ~~जटिल~~
 विद्वान ~~सकारित~~ ही जानी है
 पञ्जाबी ~~प्रेश~~ सुकार ~~होकर~~
 नमक के एक ~~होकर~~ ~~दम-रु~~
~~दोहरा~~ ही ~~peach~~

राज्यक कलक्टर
 एवं दम खण्ड अधिकारी
 बिलाड़ा